प्रेस विज्ञप्ति

23/01/2025

माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), दीमापुर नागालैंड ने ईडी, दीमापुर उप आंचलिक कार्यालय द्वारा दायर आवेदन के आधार पर दिनांक 22.01.2025 के आदेश के अनुसार **एचपीजेड टोकन और अन्य** केस में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, (एफईओए) 2018 के प्रावधानों के अनुसार भूपेश अरोड़ा को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है।

ईडी ने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन, कोहिमा (नागालैंड) द्वारा आईपीसी, 1860 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो मुद्राओं के खनन के लिए पैसा लगाने पर खगोलीय रिटर्न के वादे की आड़ में भोले-भाले निवेशकों को ठगा गया, जिसके लिए "एचपीजेड टोकन" के नाम से एक ऐप आधारित टोकन का इस्तेमाल किया गया।

ईडी की जांच से पता चला है कि पूरे भारत में आम/भोली जनता को धोखा देकर एकत्र की गई बड़ी धनराशि को विभिन्न धोखाधड़ी योजनाओं के माध्यम से विभिन्न फर्जी कंपनियों और व्यक्तियों/मालिकाना प्रतिष्ठानों में भेज दिया गया था। पीएमएलए जांच के दौरान, व्यक्तियों, मालिकों/निदेशकों के बयान दर्ज किए गए, जिससे पता चला कि भूपेश अरोड़ा और उनके करीबी सहयोगी ऐसी धोखाधड़ी योजनाओं के पीछे के व्यक्ति थे और भारत के सभी हिस्सों में भोली जनता को धोखा दे रहे थे। इसके बाद भूपेश अरोड़ा के कहने पर, जमा की गई उक्त राशि को लेन-देन की अज्ञात परत बनाने के लिए आगे स्थानांतरित कर दिया गया और कई परतों के बाद, बड़ी मात्रा में धन भारत से बाहर भी निकाल लिया गया। आज तक पता चला अपराध की आय लगभग 2200 करोड़ रुपये है और 497.20 करोड़ रुपये ईडी द्वारा कुर्क और फ्रीज किए गए हैं और जांच आगे बढ़ने पर इन राशियों में वृद्धि होने की संभावना है।

भूपेश अरोड़ा पीएमएलए, 2002 की धारा 50 (2) के तहत ईडी द्वारा जारी समन के अनुपालन में पेश नहीं हुए हैं। माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय, कोहिमा बेंच ने रिट याचिका (आपराधिक) 03/2023 में अपने आदेश दिनांक 25.09.2023 के माध्यम से भूपेश अरोड़ा को "जांच में सहयोग करने" का निर्देश दिया है। हालांकि, उन्होंने माननीय गौहाटी उच्च न्यायालय, कोहिमा बेंच के निर्देशों का पालन नहीं किया। विद्वान विशेष न्यायालय (पीएमएलए) दीमापुर ने अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया, लेकिन आरोपी ने इसका पालन नहीं किया। तदनुसार, जुलाई 2024 में न्यायालय द्वारा गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया गया था।

आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए पीएमएलए के तहत मामला शुरू होने के बाद आरोपी सितंबर 2022 में भारत छोड़कर दुबई चला गया है और आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लौटने से भी इनकार कर रहा है। मुकदमे का सामना करने के लिए आरोपी को भारत लाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए। तदनुसार, ईडी, दीमापुर सब-जोनल कार्यालय द्वारा एफईओए-2018 की धारा 4 के अनुसार एफईएओ 2018 के तहत आवेदन दायर किया गया था, जिसमें भूपेश अरोड़ा को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग की गई थी और इसे लाल बहादुर शास्त्री विशेष न्यायालय (पीएमएलए) दीमापुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 22.01.2025 के तहत अनुमति दी गई थी।

ईडी ने भूपेश अरोड़ा की दिल्ली में 2.05 करोड़ रुपये की 9 अचल संपत्तियां और दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, यूपी, छत्तीसगढ़, एमपी, ओडिशा और तेलंगाना सहित भारत के 20 राज्यों में 459.79 करोड़ रुपये के 286 बैंक खाते और वर्चुअल खाते जब्त किए हैं। भूपेश अरोड़ा ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक अनट्रेसेबल लेयर बनाने के लिए अपने नाम पर या अपने रिश्तेदारों और करीबी सहयोगियों के नाम पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों सहित 200 से अधिक कंपनियां बनाई थीं। आरोपियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली ऐसी कंपनियों/बैंक खातों की पहचान करने के लिए आगे की जांच की जा रही है।

आगे की जांच जारी है।